

## महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

### सुरक्षा व्यवस्था (सिक्योरिटी गार्ड) कार्य के लिए वित्तीय निविदा प्रपत्र

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देय होगा। साथ ही ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रदेय है।

क्र. सं.	जनबल की श्रेणी	संख्या	इकाई का पारिश्रमिक (प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन)	ईपीएफ दर (भारत शासन के नियमानुसार)	ईएसआई दर (भारत शासन के नियमानुसार)	जी.एस.टी. (भारत शासन के नियमानुसार)	इकाई का प्रति व्यक्ति सेवा शुल्क प्रतिदिन उपस्थिति अनुसार	कर्मचारी से वसूली की जाने वाली सेवा शुल्क राशि का विवरण (हाँ / नहीं) यदि हाँ - तो प्रतिमाह राशि का विवरण स्पष्ट करें। यह कोष्टक खाली रहने पर निविदा रद्द मानी जाएगी। हाँ या नहीं भरना होगा।
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	सुरक्षा गार्ड	01						
2.	गनमैन	01						

- नोट :- (1) एजेंसी को अनुबंध दिए जाने की स्थिति में एजेंसी तथा उसके कर्मचारी के बीच के मानक समझौते (नाम, पता, बैंक खाता एवं शुल्क) का विवरण प्रतिष्ठान को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। एजेंसी तथा उसके कर्मचारी के बीच के वास्तविक समझौते की प्रति भी प्रतिष्ठान को प्रेषित करना आवश्यक है।
- (2) निविदा में आप अथवा आपके द्वारा अधिकृत जिस व्यक्ति का छायाचित्र संलग्न किया जाएगा, वही व्यक्ति निविदा खुलते समय उपस्थित रह सकता है।
- (3) उक्त सभी विवरण प्राप्त होने पर ही अनुबंध मान्य किया जाएगा।

- (4) सेवा शुल्क राशि शून्य या 'शून्य राशि का लगभग होने पर निविदा मान्य नहीं होगा ।
- (5) एजेन्सी का प्रशासनिक व्यय / खर्च (प्रति कर्मचारी) को कालम-9 में अवश्य दिखाएं ।
- (6) पूर्व कार्य निष्पादन, कार्य रिकार्ड, कर्मचारियों को नियमित भुगतान, एजेन्सी के विरुद्ध कर्मचारियों की शिकायत आदि पर भी सफल निविदाकार का चयन के समय विचार किया जायेगा ।

दिनांक:

फर्म के प्रोपराईटर के हस्ताक्षर

नाम एवं पता